FORM – I

(For linear Projects)

Government of **Uttarakhand**

Office of the District Collector **Tehri Garhwal**

No. 651/XXVI - ACC II 2019-20 Deted 29-08-2020

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having intiated and completed the process of settelement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEFs letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.9910 hectares** of forest land proposed to be deverted in favour of **Public Works Department , Kirtiangar** for **Construction of Dhari to Bagyon Motor Road** in **Tehri Garhwal** District falls within jurisdiction of **Dharpanyakoti (Bagyon)** Villages in **Kirtinagar** tehsils.

It is further certified that:

a) the complete process for indetification and settlement of right under it FRA has been carried out for the entire **0.9910 hactares** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committees, Gram Sabha, Sub Division Level Committees and the District Level Committee are enclosed as annexure **23** to annexure **23.2**.
b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabha have given their consent to it.
c) the proposal does not invole recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl: As above

Signature

Executive Engineer
T.D. P.W.D. Kirtinagar

Executive Engineer
T.D. P.W.D. Srinagar
H.Q. Kirtinagar

Signature

Distt. Collector
Tehri Garhwal

It is further certified that – Minutes of meeting of **Construction of Dhari to Bagyon Motor Road (3.000 km.)** regarding FRA is as following.

Sr. No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.9910** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s), Gram Sabha(s), Sub- Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure to annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers.

Durga
जिला प
कड़ाकोट टिहरी गढ़वाल
जिला पंचायत सदस्य
टिहरी गढ़वाल

जिला समाज कल्याण अधिकारी
जिला समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल
टिहरी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी
उप वन संरक्षक
टिहरी वन प्रभाग
मुनि की रेती (टि० ग०)
नई टिहरी गढ़वाल

Signature

Distt. Collector

Tehri Garhwal

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District. Constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Shri Mangesh Ghildiyal (I.A.S)** District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in which the applicant claiming rights in **Kirtinagar** Block area measuring **0.9910 Hectare** for the construction of **Construction of Dhari to Bagyon Motor Road** in Tehsil **Kirtinagar** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee of **Kirtinagar** Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion for land for the said purpose.

Place :- Tehri

Signature

Executive Engineer
T.D.P.W.D.Kitinagar

Signature

District Collector
District Tehri Garhwal
New Tehri

प्रपत्र–23.2

परियोजना विवरण :– **मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 70/2017 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विकास खण्ड़ कीर्तिनगर के ग्राम धारी से बाग्यो तक मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 3.000 कि0मी0)।**

कार्यालय उप जिलाधिकारी, **कीर्तिनगर**
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, कीर्तिनगर

उत्तराखण्ड में जनपद **टिहरी गढ़वाल** के अन्तर्गत **विकास खण्ड़ कीर्तिनगर में ग्राम धारी से बाग्यो तक मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण हेतु 1.523 हे0 नाप भूमि 0.4275 हे0 सिविल भूमि (0.06 हे0 डम्पिंग जोन सहित), शून्य हे0 वन पंचायत भूमि, 0.5635 हे0 आरक्षित वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील देवप्रयाग) की दिनांक 13/01/2020 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक ... श्री रजा अब्बास, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री रजा अब्बास	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2– श्री डी०पी० बलोनी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3– श्रीमती मनीषा तिवाड़ी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव
4– श्री सुनील दास	बी0डी0सी0 क्षेत्र	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि बड़ोन से द्यूली बिनाणी मोटर मार्ग परियोजना हेतु 0.9910 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देवप्रयाग, उपवन प्रभाग नरेन्द्रनगर वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पश्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कीर्तिनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत **ग्राम धारी से बाग्यो तक** मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.9910 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– कीर्तिनगर
जनपद टिहरी गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– कीर्तिनगर
जनपद टिहरी गढ़वाल

परियोजना विवरण :— मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 70/2017 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विकास खण्ड कीर्तिनगर के ग्राम धारी से बाग्यो तक मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 3.000 कि0मी0)।

दिनांक 13/01/2020 उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

जनपद टिहरी गढवाल

1- श्री रज़ा अब्बास	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	(हस्ताक्षर) उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल
2- श्री डी०पी० बलोनी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	(हस्ताक्षर) उप प्रभागीय वनाधिकारी
3- श्रीमती मनीषा तिवारी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव	(हस्ताक्षर)
4- श्री सुनील दास	बी0डी0सी0 क्षेत्र	सदस्य	(हस्ताक्षर) क्षेत्र पंचायत सदस्य क्षेत्र पँचायत धारपयाकोटी / धारकोट वि0 ख0 कीर्तिनगर (टि0 ग0)

प्रपत्र–23

परियोजना का नामः–मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 70/2017 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विकास खण्ड़ कीर्तिनगर के ग्राम धारी से बाग्यो तक मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 3.000 कि0मी0)।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - धारपंयाकोटी
तहसील **कीर्तिनगर** जिला **टिहरी गढ़वाल**
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **टिहरी गढ़वाल** के अन्तर्गत **विकास खण्ड़ कीर्तिनगर में ग्राम धारी से बाग्यो मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण हेतु (0.5635 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.4275 **है0** सिविल सोयम भूमि **शून्य है0** वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 0.9910 **है0** वन भूमि का **लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर** के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत धारपंयाकोटी द्वारा दिनांक 13/07/19 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **ग्राम धारी व बाग्यो** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

(मोहर: क्षेत्र पंचायत धार पयांकोटी, वि. ख. कीर्तिनगर — ह. [signature] दिनांक 11/7/2019)

ह0/–
ग्राम सचिव

(मोहर: प्रधान ग्राम पंचायत पयांकोटी — ह0 [signature] दिनांक 13/07/2019)

ह0/–
ग्राम प्रधान

नोट :– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 13/07/19 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत धार पर्यांकोटी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	देव सिंह	[signature]
2	कर्ण सिंह	[signature]
3	सोना देवी	सोना देवी
4	बीरबल सिंह	[signature]
5	आलम सिंह	[signature]
6	उत्तम सिंह	[signature]
7	मोर सिंह	[signature]
8	लक्ष्मी देवी	लक्ष्मी देवी
9	आशा देवी	आशा देवी
10	नन्दा देवी	नन्दा देवी
11	कमल सिंह	[signature]
12	जोत सिंह	[signature]
13	मदन सिंह	मदन सिंह
14	अवतार सिंह	[signature]
15	पूजा देवी	पूजा देवी
16	जयपाल सिंह	[signature]
17	~~आशा देवी~~ शारदा देवी	[signature]
18	राजेन्द्र सिंह	[signature]
19	सबल सिंह	[signature]
20	विक्रम सिंह	[signature]
21	शिव सिंह	Shiv
22	जगत सिंह	[signature]
23	सुरजीत लाल	Surjeet
24	सते सिंह राणा	

क्षेत्र पंचायत धार पर्यांकोटी, वि. ख. कीर्तिनगर (टि0 ग0) ह0 M.S.B... दिनांक 11/7/019

ग्राम प्रधान, पर्यांकोटी, वि. ख. कीर्तिनगर टि0 ग0, ह0 [signature] दिनांक 13/07/2019

ह0/–
ग्राम प्रधान